संख्या : 959/18—2—2004—77(44)/88

प्रेषक,

जोहरा चटर्जी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
उ0प्र0, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2004

विषय :— प्रदेश में रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन हेतु पुनर्वासन पैकेज।

महोदय,

प्रदेश में रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन हेतु विद्यमान प्रक्रिया शासनादेश संख्या : 2583/18—2—95—77(44)/88 दिनांक 13.11.95 के अन्तर्गत निर्धारित है। प्रदेश में लघु एवं लघुत्तर इकाईयों की रूग्णता को दूर करने के सम्बन्ध में विद्यमान नीति के क्रियान्वयन में सामने आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति द्वारा गठित कार्यदल की संस्तुतियों पर विचार करते हुए रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश : 2583:18—2—95—77(44)/88 दिनांक 13—11—1995 के कतिपय प्राविधानों को संशोधित करते हुए, यह शासनादेश जारी करने का निर्देश हुआ है।

2.1 रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों की परिभाषा :—

रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों की परिभाषा, जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 16—1—2002 द्वारा संशोधित की गई हैं के अनुरूप निम्नवत होगी

किसी लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई (एस.एस.आई.) को निम्नलिखित परिस्थितियों में रूग्ण माना जायेगा :—

(अ) इकाई का कोई ऋण खाता 6 माह से अधिक समय तक सब—स्टैण्डर्ड रहा हो अर्थात इसके किसी ऋण खाते का मूलधन या ब्याज एक वर्ष से अधिक अवधि से अतिदेय रहा हो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यदि किसी खाते को सब—स्टैण्डर्ड वर्गीकृत किये जाने की वर्तमान अवधि भविष्य में कम कर दी जाती है तथापि उक्त एक वर्ष से अधिक समय तक अतिदेय रहने की अधिमान्यता परिवर्तित नहीं होगी ।

या

(ब) संचित नकद हानियों को कारण पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में इसके वास्तवितक मूल्य (नेट वर्थ) में इसके अधिकतम वास्तविक मूल्य (पीक नेट वर्थ) के 50 प्रतिशत या अधिक का अपक्षरण हुआ है।

और

(स) इकाई कम से कम दो वर्षों तक व्यवसायिक उत्पादन में रही है। यदि भविष्य में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण लघु इकाई की परिभाषा में परिवर्तन किया जाता है तो उपरोक्त उल्लिखित परिभाषा स्वतः ही तद्नुसार परिवर्तित मानी जायेगी।

2.2 <u>इकाईयों के रूग्ण घोषित करने/पुनर्वासन करने की प्रक्रिया</u> :–

जो लघु औद्योगिक इकाई अपने को रूग्ण घोषित करना चाहती है उसे अपना आवेदन–पत्र निर्धारित रूप–पत्र पर महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा। इकाई को आवेदन–पत्र के साथ–साथ विगत तीन वर्षों की चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट की हुई बैलेन्सशीट की प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होगी। यदि इकाई की कुल अचल सम्पत्तियों की मूल लागत रु. 5.00 लाख तक है तो इकाई के प्रमोटर द्वारा स्वतः प्रमाणित बैलेन्सशीट प्रस्तुत की जायेगी यदि इकाई की कुल अचल सम्पत्तियों की मूल लागत रु0 5.00 लाख से अधिक है तो इकाई को चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्प्रेक्षित (आडिटेड) बैलेन्सशीट प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन–पत्र एवं सम्प्रेक्षित बैलेन्सशीट की एक प्रति इकाइ के द्वारा अनिवार्य रूप से उ0प्र0 वित्तीय निगम के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सूचना के आधार पर उ.प्र. वित्तीय निगम/पिकप/बैंक जॉच पड़ताल करके 15 दिन के भीतर अपनी विस्तृत राय परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग के माध्यम से मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे।

इकाई से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पीकृत की गयी परिभाषा के आधार पर रूग्ण एवं रूग्णोन्मुख लघु औद्योगिक इकाईयों का परीक्षण किया जाएगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 दिन के भीतर जाँच पड़ताल करके इकाई के पुनर्वासन आवेदन को विचार योग्य मानने या न मानने की संस्तुति परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक के माध्यम से मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाये। उद्योग निदेशक के स्तर पर भी आवेदन पत्रों की प्राप्ति के समयबद्ध निस्तारण की मासिक समीक्षा की जायेगी।

ऐसी इकाईयाँ जो जानबूझ कर किये गये कुप्रबन्धन, जानबूझ कर किये गये डिफाल्ट, अनाधिकृत रूप से धन के आहरण/साझेदारों प्रवर्तकों इत्यादि के कारण रूग्ण होती है, उनके पुनर्वासन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इनके सम्बन्ध में बैंक/संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही की जायेगी। जानबूझ कर किये गये डिफाल्टर की परिभाषा जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या : डी0बी0ओ0डी0 नं0 बी0सी0डी0एल0(डब्लू) 12/2–016002(1)98–99, दिनॉक 20. 02.99 में दी गयी है, में वृहत रूप से निम्नलिखित सम्मिलित होगा। यदि भविष्य में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण लघु इकाई की परिभाषा में परिवर्तन किया जाता है, तो उपरोक्त उल्लिखित परिभाषा स्वतः ही तद्नुसार परिवर्तित मानी जायेगी।

(अ) पर्याप्त नकद आय तथा अच्छी नेटवर्थ के होते हुए भी बकाया धनराशि जानबूझ कर भुगतान न किया जाना।
(ब) बकायेदार इकाई को नुकसान पहुंचाते हुए धन का निकाला जाना।
(स) या तो वित्त पोषित सम्पत्तियॉ क्रय नहीं की गयी हो अथवा विक्रय कर दी गई हो एवं विक्रय धनराशि का दुरूपयोग कर लिया गया हो।
(द) भ्रामक/झूठे अभिलेख बनाना।
(य) सम्पत्तियों का बैंक की सूचना के बिना बेचना/हटना।
(र) ऋणी द्वारा धोखेपूर्ण कार्य किया जाना।

3. **<u>मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति</u> :—**

रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु ही पुनर्वासन समिति कहलायेगी। समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/संस्थाओं के अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेगी, इसके लिए अलग से शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मण्डलीय समितियाँ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाये गये पुनर्वासन पैकेज पर विचार करके सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय लेगी।

4. **<u>मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति का कार्य</u> :—**

(क) महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र तथा परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग द्वारा संस्तुत इकाई को रूग्ण घोषित करना एवं इसके पुनर्वासन की सम्भावना का परीक्षण करने हेतु वित्तीय संस्था का निर्धारण कराना।

(ख) पुनर्वासन के लिए योग्य इकाईयों के पुनर्वासन पैकेज को निर्धारित अवधि में तैयार कराना।

(ग) शासन द्वारा रूग्ण इकाईयों हेतु निर्धारित ऐसी सुविधाओं को प्रदान करना जिनके भविष्य में अधिकार इस समिति को प्रतिनिधानित किये गये हैं।

(ध) पुनर्वासन पैकेज को स्वीकार कर क्रियान्वित कराना।

(ङ) रूग्णता के लक्षण प्रदर्शित कर रही ऐसी इकाईयों की रोकथाम करना जिसके प्रकरण समिति के संज्ञान में आये। आर0बी0आई0 के निर्देशानुसार बैंकों द्वारा इस सम्बन्ध में तैयार की लाने वाली रिपोर्ट की नियमित समीक्षा भी की जाए।

(च) अन्य कोई मद जो योजना के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु आवश्यक समझी जाये।

5. **<u>मण्डलीय पुनर्वासन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया</u> :—**

5.1 समिति अपनी मासिक बैठक में मण्डल के विभिन्न जनपदों के जिला उद्योग केन्द्रों के महा प्रबन्धकों तथा परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग के द्वारा इकाई को रूग्ण घोषित करने हेतु की गई संस्तुतियों का परीक्षण करेगी एवं रूग्ण घोषित किये जाने योग्य इकाई को रूग्ण घोषिण करेगी। जिसके आधार पर एक सप्ताह के अन्दर परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग द्वारा रूग्णता प्रमाण—पत्र जारी किया जायेगा परन्तु रूग्ण घोषित इकाई को देय सुविधायें मण्डल स्तरीय समिति द्वारा रूग्ण घोषित कर दिये जाने के दिनांक से लागू होगी। समिति के द्वारा रूग्ण घोषित की गयी इकाई के पुनर्वासन की सम्भावना का परीक्षण करने हेतु किसी एक वित्तीय संस्था/बैंक को (**आपरेटिंग एजेन्सी**) नामित किया जायेगा ऐसी वित्तीय संस्था/बैंक को ही आपरेटिंग एजेन्सी नामित किया जायेगा जो रूग्ण घोषित की गई इकाई का प्राइमरी लेन्डर हो। संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक आपरेटिंग एजेन्सी निर्धारित किये जाने के तीन माह के भीतर परीक्षणोपरान्त या तो कारण सहित यह इंगित करेगी कि रूग्ण इकाई का पुनर्वासन सम्भव नहीं है अथवा पुनर्वासन सम्भव है तो इसी तीन माह की अवधि के भीतर पुनर्वासन पैकेज बनाते हुए इस समिति के समक्ष आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा पुनर्वासन की सम्भावनाओं का परीक्षण एवं पैकेज बनाये जाने की कार्यवाही का अनुश्रवण मण्डल में नियुक्त अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग सुनिश्चित करेंगे।

5.2 जिन संस्थाओं/बैंकों द्वारा पुनर्वासन पैकेज तैयार करने अथवा अपेक्षित सुविधाओं के बारे में अपनी सहमति देने के बारे में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो उस दशा में मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति ऐसे मामले उद्योग निदेशक के माध्यम से राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उप समिति को संदर्भित करेगी।

5.3 यदि मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के द्वारा किसी इकाई को पुनर्वासन योग्य/रूग्ण घोषित करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी इकाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उप समिति के समक्ष निदेशक उद्योग के माध्यम से एक माह के अन्दर अपील कर सकती है।

6. <u>राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उप समिति</u> :–

पूर्व शासनादेशें के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी के कार्य का अधिकार सचिव, लघु ऱ्द्योग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उप समिति को प्रदान किया जाता है। इस समिति में संयोजक बैंक द्वारा विचाराधीन पैकेज की आवश्यकतानुसार ऊर्जा, कर एवं निबन्धन, आवास एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार अन्य विभाग/संस्थाओं तथा बैंकों के प्रतिनिधियों को भी कमेटी की बैठक में बुलाया जा सकता है। उक्त प्रस्तावित राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उप समिति मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के कार्य–कलापों का प्रत्येक माह पूर्व निर्धारित दिवस पर अनुश्रवण करेगी तथा साथ ही साथ मण्डल स्तरीय समितियों द्वारा शासन को संदर्भित मामलों में निर्णय करेगी। इसके अलावा जो सुविधायें राज्य स्तर पर इकाईयों को उपलब्ध कराई जानी है, पर भी निर्णय लेगी।

7. <u>पुनर्वासन योग्य रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों को सुविधायें</u> :–

(क) यदि किसी रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को पुनर्वासन योग्य मानते हुए पुनर्वासन पैकेज बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाती है तो रूग्ण घोषित किये जाने की तिथि से 3 माह तक पुनर्वासन पैकेज बनाने की अवधि अथवा 3 महीने जो भी कम हो, के दौरान किसी भी विभाग के द्वारा उस इकाई के विरूद्ध कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि एक महीने के भीतर पुनर्वासन पैकेज तैयार नहीं हो जाता है, तो आपरेंटिंग एजेन्सी/प्राइमरी लेण्डर के इकाई पर बकाये की वसूली पुनर्वासन पैकेज के तैयार होने तक स्थगित रहेगी तथा विलम्ब का कारण प्रत्येक माह मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक के स्तर पर भी ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा कर शासन को अवगत किया जायेगा।

(ख) विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधायें :–

1. संस्थागत वित्त विभाग

1.1 बिक्री कर की वर्तमान व भावी देयों के सम्बन्ध में रु0 10.00 लाख की सीमा तक 5 वर्षों के लिए आस्थगन (इसकी वसूली उक्त अवधि की समाप्ति पर अगले 5 वर्षों में वार्षिक किश्तों में की जायेगी) के सम्बन्ध में निर्णय मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति द्वारा लिया जायेगा। समिति तद्नुसार संस्तुति राज्य सरकार के लघु उद्योग विभाग को आवश्यक

कार्यवाही हेतु भेजेगी तथा शासन स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किये जायेंगे।

1.2 रु0 10.00 लाख के ऊपर रु0 1.00 करोड़ की सीमा तक व्यापार कर के वर्तमान भावी देयों के सम्बन्ध में आस्थगन की सुविधा 5 वर्ष के लिए (इसकी वसूली उक्त अवधि की समाप्ति पर अगले 5 वर्षों में वार्षिक किश्तों में की जायेगी) दिये जाने का अधिकार राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उप समिति को होगा। राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उपसमिति की संस्तुति पर राज्य सरकार के लघु उद्योग विभाग द्वारा औपचारिक आदेश संस्थागत वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे।

1.3 व्यापार–कर अधिनियम की धारा–4ए2वी के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराधिकारी नवीन औद्योगिक इकाई को उसी अवधि हेतु व्यापार–कर की छूट की सुविधा अनुमन्य होगी जिस अवधि हेतु पूर्वाधिकारी रूग्ण औद्योगिक इकाई को उपलब्ध होती, यदि सम्बन्धित रूग्ण औद्योगिक इकाई बन्द न हुई हो। यह निर्णय अब मण्डल स्तरीय समिति द्वारा लिया जायेगा।

2. ऊर्जा विभाग :–

2.1 रूग्ण इकाईयों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जायेगा, किन्तु यह सुविधा तभी अनुमन्य होगी जब संबंधित फीडर स्वतंत्र हो व उक्त सुविधा का प्राविधान पुनर्वासन पैकेज में किया गया हो।

2.2 (क) रूग्ण इकाईयों के पुनर्वासन हेतु विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो पुनर्वासन पैकेज तैयार किये जायेंगें उसी आधार पर इकाई से यदि इकाई कार्यरत है तो रूग्ण घोषित होने की तिथि से रूग्णता की अवधि अथवा वित्तीय संस्था द्वारा की गयी संस्तुति जो भी कम होगी, के अनुरूप मिनिमम कन्जम्पशन गारंटी के प्राविधान को शिथिल करते हुए स्वीकृत भार चार्ज तथा विद्युत यूनिट के वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल निर्गत किये जायेंगे। पुनर्वासन पैकेज निर्धारित होने पर मिनिमम कन्जम्पशन गारंटी से मुक्त करने के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया जाये उसके अनुसार वसूली हेतु किश्तें निर्धारित की जायेगी।

(ख) यदि इकाई बंद है तो बन्द रहने के अंतराल हेतु मिनिमम कन्जम्पशन गारंटी से मुक्त रखे जाने की कार्यवाही की जा सकेगी, यदि वह पुनर्वासन पैकेज का अंश हो।

(ग) यदि पुनर्वासन पैकेज में इस आशय की व्यवस्था हो तो बंदी के बाद विद्युत पुनः स्थापित करने हेतु रूग्ण इकाई से सिस्टम लोडिंग चार्जेज नहीं लिये जायेंगे।

2.3 वर्तमान विद्युत देयों का भुगतान किया जायेगा पिछले बकाया विद्युत देयों की वसूली इकाई रूग्ण घोषित होने की तिथि से पुनर्वासन पैकेज की स्वीकृति तक वसूली स्थगित रहेगी, तदुपरान्त पिछले बकायों की वसूली पैकेज के अन्तर्गत निर्धारित किश्तों में की जायेगी।

2.4 इकाई के बंद होने पर रूग्ण घोषित होने की तिथि से पुनर्वासन पैकेज की स्वीकृति तक इकाई पर कोई विद्युत सरचार्ज नहीं लगाया जायेगा।

2.5 पुनर्वासन हो जाने के पश्चात समस्त बकायों का समायोजन पुनवार्सन पैकेज के अनुसार कर दिया जायेगा।

2.6 समिति को यह अधिकार होगा कि पुनर्वासन योग्य इकाई के प्रकरण पर इकाई के रूग्ण होते ही उसका विद्युत संयोजन जोड़ दिया जाये और वास्तविक उपभोग के आधार पर इकाई बिल देना प्रारम्भ कर दे।

2.7 पुनर्वासन योग्य रूग्ण घोषित लघु औद्योगिक इकाई को आंशिक विद्युत भार समर्पित किये जाने की सुविधा पर भी समिति निर्णय लेगी। समर्पण की सुविधा न्यूनतम् एक वर्ष तथा अधिकतम 2 वर्ष तक के लिए होगी। इस अवधि में यदि उद्योग अपना समर्पित भार वापस प्राप्त करना चाहता है तो उस पर सिस्टम लोडिंग चार्जेज नहीं लगेंगे। 100 हॉर्स पावर तक के लघु उद्योगों को भार समर्पित करने की निःशुल्क सुविधा उस दशा में उपलब्ध करायी जायेगी यदि वे इलेक्ट्रानिक्स मीटर स्थापित करें। इन मीटरों का मूल्य उनके बिलों में समायोजित किया जायेगा।

3. श्रम विभाग :—

इकाई की श्रमिक समस्याओं के संबंध में राज्य सरकार यथाआवश्यक सहायता प्रदान करते हुए श्रमिक समस्याओं के समाधान हेतु तथा श्रम अभिनवीकरण के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहयोग करेगी। इस पर निर्णय राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उप समिति द्वारा लिया जायेगा।

4. आबकारी विभाग :—

बकाया आबकारी करों का आस्थगन 5 वर्ष के लिए किया जा सकेगा जिसकी वसूली पैकेज में उल्लिखित अवधि तक या 5 वर्ष जो भी पहले हो से की जायेगी। बकायों को माफ किये जाने के संबंध में निर्णय राज्य स्तरीय अंतरसंस्थागत समिति की उप समिति द्वारा लिया जायेगा।

5. भारतीय रिजर्व बैंक :—

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन के संबंध में समय—समय पर जो सुविधायें बैकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जायेंगी, वे पुनर्वासन की जाने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों पर लागू होगी और यह सुविधा मण्डल स्तरीय तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा सम्बंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

पुनर्वासन पैकेज में दी गयी सुविधायें केवल उन इकाईयों पर लागू होगी जिनके सम्बन्ध में पुनर्वासन पैकेज संबंधित बैंकों/वित्तीय निगम/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। जिन मामलों में पुनर्वासन स्वीकृत नहीं किया जायेगा, ऐसी इकाईयों को शासन द्वारा दी जा रही अतिरिक्त पुनर्वासन पैकेज की सुविधायें अनुमन्य नहीं होगी और ऐसी इकाईयों से रूग्ण घोषित होने की तिथि से पैकेज अस्वीकृत होने की तिथि अथवा 3 माह जो भी कम हो के दौरान प्राप्त की गयी सुविधाओं के सापेक्ष नियमानुसार संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाओं/विभाग/निगम द्वारा वसूली आदि की कार्यवाही की जायेगी। पुनर्वासन पैकेज 3 माह के अन्दर तैयार कर लिया जायेगा और चौथे माह से इसका कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जायेगा।

ये आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

भवदीया,

(जोहरा चटर्जी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 959(1)/18—2—2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव, बैंकिंग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, 2—एम0जी0मार्ग, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उ0प्र0।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, 14/88—सिविल लाइन, कानपुर।
13. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
14. अधिशाषी निदेशक, आई0आई0ए0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
15. उपमहाप्रबन्धक, एवं मण्डल साख अधिकारी, एस0बी0आई0, लखनऊ।
16. निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अपने अन्तर्गत समस्त बैंकों को तद्नुसार समयबद्ध कार्यवाही हेतु प्रभावी निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें।
18. उप महाप्रबन्धक, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बड़ौदा, हजरतगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

(जोहरा चटर्जी)
सचिव।